(105)

न्यायालय श्रीमान् रेवन्यू बोर्ड राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

II/निग0/रीवा/2018/02261

विनोद कुमार शर्मा आत्मज स्व. श्री गुरू प्रसाद शर्मा आयु 63 वर्ष पेशा सेवा निवृत्त कर्मचारी निवासी चुनहाई कुइयां के पास पाण्डेन टोला तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)।

—निगरानीकर्ता

विरूद्ध

अशोक कुमार शर्मा आत्मज स्व. श्री गुरू प्रसाद शर्मा आयु 65 वर्ष पेशा सेवानिवृत्त कर्मचारी निवासी चुनहाई कुइयां के पास पाण्डेन टोला तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)।

—गैरनिगरानीकर्ता

प्रस्तुत श्री कृष्णकुमार
अधि. द्वारा रीवा 06-4-18

निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म.प्र.) अपील प्रकरण क्रमांक 0768/अपील 2017—18 निर्णय दिनांक 05.03.2018।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न हैं :—

यह कि आराजी नं. 205/1/ग का रकवा 0.024 हे. ग्राम पड़रा तहसील हुजूर जिला रीवा की भूमि है, जिसके भूमि स्वामी निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता की मां स्व. रमादेवी थीं। उक्त भूमि को स्व. रमादेवी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र के आधार पर क्रय किया था व अपने जीवनकाल तक मालिक स्वामी एवं अधिपत्याधिकारी थीं। उनके मृत्यु के बाद उनके वारिस निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता हुये।

गैरनिगरानीकर्ता द्वारा तहसील न्यायालय में आराजी नं. 205/1/ग रकवा 0.024 हे. के संबंध में वारिसाना नामांतरण हेतु निगरानीकर्ता को बिना पक्षकार बनाये व निगरानीकर्ता के चोरी—चोरी प्रस्तुत किया व निगरानीकर्ता को जानकारी होने पर तहसील न्यायालय में आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया। किन्तु तहसीलदार द्वारा निगरानीकर्ता को बिना सुने गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी प्रतिवेदन बुलाया गया। पटवारी द्वारा गलत सजरा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया पटवारी द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सजरा का उल्लेख किया गया है उसमें मात्र प्राप्त जानकारी के आधार पर लेख किया गया है किन्तु किन व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की गई कोई उल्लेख नहीं है। तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्व. रमादेवी की वारिस प्रभादेवी व मीना देवी को मानकर जो आदेश किया है वह पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता ही मात्र स्व. रमादेवी के पुत्र हैं। इसके अलावा कोई पुत्र व पुत्री स्व. रमादेवी की नहीं हैं किन्तु पटवारी

विनोद कुमार शर्मा

105

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग./ग्र.रि./2018/2261 जिला– रीवा

विनोद कु. शर्मा विरूद्ध अशोक कु. शर्मा

(1)	(2)	(3)
18-12-18 –	1. आवेदक की ओर से श्री कृष्ण कुमार मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 768/अपील/2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 05-03-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06-4-2018 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

आदेश किया है वह पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता ही मात्र स्व. रमादेवी के पुत्र हैं। इसके अलावा कोई पुत्र व पुत्री स्व. रमादेवी की नहीं हैं किन्तु पटवारी

विनोद कुमार शर्मा